FORM NO. 03

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा

अनवान

श्री बालमुकुन्द पुत्र रामचन्द्र [illegible] बनाम श्रीमती कमला देवी पत्नी श्रीतरमल मं १०

किस्म मुकदमा धारा 136 L.R.Act मु0न0 7/2022 सन 2022/116

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुई
31/3/22	प्रार्थी भगवान स्वरूप पुत्र श्री सोहनलाल मूंदड़ा नि. रायपुर के द्वारा प्रा० पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम रायपुर मे प्रार्थी व अन्य सह खातेदारो की शामलाती खातेदारी आ.नं. 2016 रकबा 0-09 हेक. भूमि स्थित है। जिसका साबिक नकसा बड़ा था और उसी नक्शे अनुसार हम काबिज है किन्तु नवीन नक्शे मे प्रार्थी की तह- खातेदारी आ.नं. 2016 का नक्शा छोटा हो गया है प्रार्थी के कब्जे मे जमाबन्दी मे दर्ज रकबे अनुसार ही मौके पर काबिज है प्रमाण स्वरूप साबिक जमाबन्दी, नक्सा ट्रेस मिलान क्षेत्रफल एव हाल जमाबन्दी नकलें पेश की गयी। अन्त मे प्रार्थना पत्र स्वीकार कर नक्शा दुरुस्ती कराना फरमावे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी खातेदार को जरिये नोटिस तलब किया गया एव तहसीलदार रायपुर से मौका रिपोर्ट ली गयी जो शामिल [illegible] विपक्षी श्रीतरमल पुत्र [illegible] जिनके द्वारा जवाब के रूप मे [illegible] किया कि प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि पर काबिज है और विपक्षी अपनी खातेदारी भूमि पर काबिज है कब्जे मे लेकर कोई विवाद नहीं है। जिन खातेदारान [illegible]	[signature] [signature]

PTO

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.04.11 17:23:32 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर इस तामिल

(पक्षकारान) के नाम राजस्व रिकार्ड मे जितनी भूमि दर्ज है के मुकाबले राजस्व नक्शे को संशोधन किया जावे तो कोई आपत्ति नही है एवं सहमति स्वरूप पत्रावली पर हस्ताक्षर किये है

उपरोक्त विवरण के अनुसार ग्राम० रायपुर मे उपलब्ध रिकार्ड एवं तहसीलदार रायपुर से प्राप्त रिपोर्ट (मौका) का अवलोकन किया। तहसीलदार रायपुर के द्वारा अपनी रिपोर्ट मे अंकन किया कि प्रार्थीगण आ.नं. 2016 के सहखातेदार है एवं आ.नं. 2015 के खातेदार विपक्षी छीतरमल पुत्र रामदयाल है मौके पर आ.नं. 2016 का रकबा 0-09 हेक. होता है परन्तु नक्शे अनुसार रकबा पूर्ण नही होकर नक्शा छोटा है मौके पर कब्जे को लेकर कोई विवाद नही है तहसीलदार रायपुर एवं पत्रावली मे उपलब्ध रिकार्ड से पाया कि मौके पर पक्षकारान अपने-2 हक हिस्से पर काबिज है किन्तु राजस्व नक्शा आ.नं. 2016 के जमाबन्दी मे दर्ज रकबे अनुसार नही होने से संशोधन किया जाना उचित प्रतीत होता है

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि [illegible] ग्राम रायपुर की आ.नं. 2016 रकबा 0-09 हेक. भूमि के राजस्व रेकार्ड [illegible] ध्यान मे रखते हुये राजस्व नक्शे [illegible] तरमीम दुरूस्ती की जावे। पालना [illegible] रायपुर को भेजी जावे। पत्रा० कैशल कुमार होकर चैंबर से कम हो।

31.03.2022

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar La[illegible] Bamboda
Date: 2022.04.11 17:23:32 IS[illegible]
Reason: SelfAttested